मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना की अर्हत्ता संबंधी विवरणी

- ❖ इस योजनान्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बुद्धमार्ग, पटना द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग (बी0सी0–2) की छात्राओं को 10,000/–(दस हजार) रूपये प्रति छात्रा की दर से भुगतान किया जाता है।
- ❖ राशि उन्हीं छात्राओं को दी जाती है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होकर +2 की कक्षा में अध्ययनरत हो।
- ❖ राशि का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बुद्धमार्ग पटना से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग (बी0सी0–2) की छात्रा को जिलावार संख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला को आवंटित किया जाता है।
- ❖ राशि का वितरण छात्राओं के नाम/ बैंक का खाता संधारित रहने की स्थिति में राशि का अंतर बैंक द्वारा छात्राओं के बैंक खाते में सीधे दी जाती है। बैंक खाता संख्या अनुपलब्ध रहने की स्थिति में बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।
- ❖ योजना का लाभ नहीं मिलने पर इसकी शिकायत जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं राज्य स्तर पर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से की जा सकती है।